website

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या– 18/2024–25 दिनांक : 30.11.2024

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्यों हेतु शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र/आगरा विकास प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से ई–निविदा (Open-e-Tender) आमंत्रित की जाती है :–

क. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू. लाख में)	धरोहर धनराशि (रूपये में)	निविदा मूल्य (रूपये में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभि0 खण्ड
1.	आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण चैनेज 11550 पर (6+6) 12 लेन टोल प्लाजा, प्रशासनिक भवन एवं यूटिलिटी सेन्टर का निर्माण कार्य।	512.22	10,24,500/–	5900/–	06 माह	ए	इनर रिंग रोड

- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एंव अन्य विवरण वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:–

1. उक्त कार्यो की निविदा दिनांक 09.12.2024 को आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिवस अपरान्ह 02:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03.12.2024 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 09.12.2024 के अपरान्ह् 1:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
2. वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि तक निर्धारित समय से पूर्व वेबसाइट https://induscollect.indusind.com/pay/index.php से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
4. शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों को ई–टेण्डर की खुली निविदा में (Open e-tender) प्रतिभाग करने की अनुमति प्राधिकरण हित में एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि अर्ह फर्म (L1) को प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा शासकीय/अर्द्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता द्वारा निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित कर अपलोड करना अनिवार्य है।
8. निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12– 2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
9. सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
11. उपरोक्त कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
12. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।
13. निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
14. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका निकटतम सम्बन्धी आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है।
15. समस्त प्रकार के कार्यों (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यो) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
16. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।
17. पेवर/हॉटमिक्स प्लान्ट के कार्यो में केवल हॉटमिक्स प्लाण्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते है। प्लान्ट स्वामित्व का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।
18. प्लान्ट धारकों हेतु आरक्षित कार्यो हेतु निविदादाता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एन.ओ.सी. संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. सिविल कार्य आगरा विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।

मुख्य अभियन्ता

पत्रांक : 134/डी/सी.ई/2024–25, दिनांक : 30/11/2024

प्रतिलिपि :–

1– उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2– सचिव महोदया को सूचनार्थ।
3– वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4– प्रभारी आई.टी.सेल को प्राधिकरण वेबसाइट एवं ई–टेण्डरिंग साइट पर अपलोड़ कराने हेतु।
5– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को कार्य की बी.ओ.क्यू. एवं अन्य प्रपत्र समयान्तर्गत ई–टेण्डरिंग साइट पर अपलोड कराने हेतु।
6– नोटिस बोर्ड।

30.11.24

मुख्य अभियन्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Pratap
Date: 2024.12.03 11:54:27 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner